मुख्य मंत्री

श्री मुलायम सिंह यादव

का

2006-2007 के बजट अनुमानों

पर

बजट भाषण

वर्ष 2006–2007 के बजट अनुमानों पर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का बजट भाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2006–2007 का बजट इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

मान्यवर,

इस सम्मानित सदन में वर्ष 2003–04 का बजट प्रस्तुत करते समय मेरे द्वारा हमारी सरकार को उत्तराधिकार में प्राप्त जर्जर आर्थिक व वित्तीय स्थिति का उल्लेख किया गया था। हमारी सरकार को खाली खजाने के साथ लुंजपुंज प्रशासनिक ढांचा, गैर अनुशासित वित्तीय खर्चे, फिजूल खर्ची पर टिकी जर्जर व्यवस्था में वित्तीय प्रशासन प्राप्त हुआ था। हमारी सरकार की यह मान्यता थी कि देश के सर्वाधिक आबादी वाले इस प्रदेश की आर्थिक तरक्की के बिना भारत निर्माण का नारा खोखला है और अतार्किक है। इसलिये हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम एवं आदर्श प्रदेश में बदलने का संकल्प लिया। यह बजट प्रस्तुत करते हुए मुझे गौरवानुभूति हो रही है कि हम अपने संकल्प को पूरा करने में सफल हुए। नियोजन विभाग द्वारा प्रकाशित योजना साहित्य के अनुसार वर्ष 2002–03 में हमारे राज्य की आर्थिक

विकास दर मात्र 0.1 प्रतिशत थी। हमारी सरकार के अथक प्रयास के परिणामस्वरूप वर्ष 2005–06 की समाप्ति तक यह दर 6 प्रतिशत तक हो जाने का अनुमान है। मुझे गर्व है कि आज अपनी सरकार की ओर से लगातार तीसरी बार निर्धारित समय के भीतर वार्षिक बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रदेश के वित्तीय इतिहास में लम्बे अन्तराल के बाद ऐसा समय आया है कि वित्तीय वर्ष समाप्ति से पहले ही अगले वर्ष का बजट प्रस्तुत कर दिया जाय। इससे वित्तीय अनुशासन बनाये रखने में सुविधा होगी।

वित्तीय अनुशासन से वित्तीय क्षेत्र में सार्थक परिणाम सामने आये हैं। लगभग 20 वर्षों के बाद वर्ष 2006–07 के बजट अनुमानों के अनुसार हमारा प्रदेश राजस्व घाटे की दुर्गम घाटी को पार कर राजस्व बचत के युग में प्रवेश करेगा। हमने भारत सरकार को आश्वासन दिया था कि वर्ष 2008–09 तक राजस्व घाटे को समाप्त करेंगे। किन्तु इस माननीय सदन के सहयोग, सभी सरकारी अमले के स्नेहपूर्ण प्रयास व सरकार के दृढ़ संकल्प के कारण हम दो वर्ष पूर्व ही ऐसा करने में सफल रहे। हम प्रदेश की जनता को बार बार कहते थे कि हमारी सरकार अपने काम से बोलेगी। हमारे बोल को जनता ने सुना और हमे हमारे प्रदेश निर्माण के कार्य में भरपूर स्नेह और आशीर्वाद दिया। अब से पहले हमारे प्रदेश की पहचान केन्द्रीय सत्ता से अनुदान व सहायता लेकर उसे उपभोग करने वाले राज्य की थी। किन्तु हमारी सरकार के निरन्तर प्रयासों से अनुदान भक्षी क़लंक को मिटाकर जनसेवी

विकासोन्मुख राज्य के रूप में अपनी पहचान बना ली। हमारी इस पहचान से प्रभावित होकर ही भारत के योजना आयोग ने हमारी मांग के अनुसार वार्षिक योजना की स्वीकृति दी। प्रशासनिक व्यय में कमी, फिजूल खर्ची पर नियंत्रण, विकास की धनराशि में वृद्धि, आधारभूत सुविधाओं में विशाल निवेश से विगत लगभग तीन वर्षों में प्रदेश की सूरत में बदलाव की रफ्तार तेज हो गयी। हमारी सरकार के कामकाजी स्वरूप से ही निजी क्षेत्र के पूंजी निवेश में भी वृद्धि हुई। किसी प्रदेश के इतिहास में दो वर्षों का समय बहुत अल्प होता है फिर भी हमारे अथक प्रयास से निर्मित वातावरण के चलते बुनियादी क्षेत्र में निजी क्षेत्र ने निवेश प्रारम्भ कर दिया है। हमारी पूरी आशा है कि इसी तरह का वित्तीय अनुशासन बनाये रख कर हम विदेशी पूंजी को भी आकर्षित करने में सफल होंगे। हमे पूरा विश्वास है कि सभी अवरोधों को पार करके हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे।

वित्तीय वर्ष 2006–07 के बजट में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हो रही हैं जिनका मैं संक्षेप में उल्लेख करना चाहूँगा :–

- वर्ष 2006–07 के अनुमानों के अनुसार राजस्व घाटे को समाप्त कर प्रदेश राजस्व बचत करेगा।
- वर्ष 2006–07 के बजट में आयोजनागत पक्ष में रू0 22106 करोड़ का प्राविधान किया गया है । यह वर्ष 2005–06 की तुलना में

49 प्रतिशत अधिक है। इतना बड़ा प्राविधान ऐतिहासिक है और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे प्रदेश में विकास कार्यो को अभूतपूर्व गति मिलेगी।

- वर्ष 2006–07 के बजट में रू0 6507 करोड़ की नई योजनायें ली गई हैं। ऐसा भी प्रदेश में पहली बार हुआ है।
- व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में पूँजीगत कार्यों हेतु परिव्यय में अभूतपूर्व वृद्वि की गई है । वर्ष 2005–06 में 7898 करोड़ रूपये के पूँजीगत परिव्यय के सापेक्ष वर्ष 2006–07 में 13437 करोड़ रूपये का परिव्यय अनुमानित है । यह वर्ष 2005–06 के सापेक्ष 70 प्रतिशत की वृद्वि दर्शाता है । पूंजीगत परिव्यय कुल व्यय का 16 प्रतिशत है। यह भी ऐतिहासिक है।
- वर्ष 2005–06 में राज्य का कुल व्यय रूपये 69295 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2006–07 में रूपये 82850 करोड़ अनुमानित किया गया है । यह वृद्धि लगभग 20 प्रतिशत है।
- यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि प्रदेश के आयोजनागत व्यय में केन्द्र सरकार का अंश पिछले सालों से कम होता जा रहा है। हमने स्वयं अपने संसाधन जुटा कर आयोजनागत व्यय के लिये धन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है।

- मुझे बताते हुये अत्यधिक हर्ष हो रहा है कि कर राजस्व की प्राप्तियों में प्रदेश ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। दिनांक 31 जनवरी, 2006 तक रू0 14777 करोड़ का राजस्व प्राप्त कर लिया गया है जो कि गत वर्ष की इसी अवधि के संग्रह से रू0 2656 करोड़ अधिक है तथा 21.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। अनुमान है कि इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक हमारी प्राप्तियां रू0 19787 करोड़ होंगी जो कि पिछले वर्ष की प्राप्तियों से रू0 3736 करोड़ अधिक होगी। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि वर्ष 2004–05 में हमने 2003–04 की तुलना में 18 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये 16051 करोड़ की धनराशि का संग्रह किया था। इससे यह स्पष्ट हो जायेगा कि दो वर्ष के अन्दर हमने अपने संसाधनों में कितनी वृद्धि कर ली है।
- हमारी उपलब्धियों से वित्तीय बाजार में भी हमारी साख बढ़ गई। फलस्वरूप जहां पहले वित्तीय संस्थायें प्रदेश में निवेश करने से कतराती थीं अब वही संस्थायें उत्साहित होकर प्रदेश में विनिवेश कर रही हैं। माह सितम्बर, 2005 में जब राज्य सरकार द्वारा राज्य विकास ऋण पत्रों की बिक्री आरम्भ की गई तब बाजार खुलने के मात्र दो घन्टों में ही 1500 करोड़ के समस्त ऋण पत्रों की बिक्री हो गई ।

- आमदनी बढ़ाने के साथ साथ हमने आयोजनागत व्यय बढ़ाने पर भी बल दिया है। इस उद्देश्य से अधिकांश वित्तीय स्वीकृतियां वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में निर्गत कर दी गई थीं। व्यय की लगातार समीक्षा भी की जा रही है। परिणामस्वरूप 31 जनवरी, 2006 तक आयोजनागत पक्ष में रू0 8848 करोड़ का व्यय हो चुका है जो गत वर्ष इसी अवधि के व्यय से लगभग रू0 3700 करोड़ अधिक है।
- केन्द्रीय योजना आयोग ने भी हमारी उपलब्धियों को स्वीकार किया और हमारी मांग अनुसार प्रदेश की वार्षिक योजना में 40 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि करते हुये 19000 करोड़ का प्लान यह मानते हुये अनुमोदित किया कि हम इस वृहद योजना को वित्त पोषित करने की क्षमता रखते हैं।

वर्ष 2006–07 में प्रारम्भ किये जाने वाले मुख्य कार्यक्रम

इससे पहले कि मैं विभागवार बजट प्राविधानों की चर्चा करूँ, वर्ष 2006–07 के बजट के माध्यम से वित्त पोषित की जाने वाली कुछ मुख्य योजनाओं/कार्यक्रमों का उल्लेख करना चाहूँगा।

कमजोर वर्गों के लिये कल्याणकारी योजनायें

- प्रदेश में इस समय 12 लाख वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है। यह संख्या बढ़ाकर 20 लाख कर दी जायेगी। इस पर आने वाले रू0 360 करोड़ के व्यय की बजट में व्यवस्था कर दी गई है। अब पात्रता क्षेत्र में आने वाले सभी वृद्ध पेंशन पाने लगेंगे।

- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर प्रदेश सरकार द्वारा रू0 10 हजार की सहायता दी जाती है। अब इसे बढ़ाकर रू0 20 हजार कर दिया गया है और इसके लिये रू0 78 करोड़ की बजट व्यवस्था की गई है।

- वर्ष 2006–07 से 2 लाख अतिरिक्त निराश्रित विधवाओं को भरण पोषण के लिये अनुदान दिया जायेगा जिस पर आने वाले रू0 36 करोड़ के अतिरिक्त व्यय का प्राविधान कर लिया गया है। इस प्रकार से पात्रता क्षेत्र में आने वाली समस्त निराश्रित विधवायें अनुदान पाने लगेंगी।

- अनुसूचित जाति की बालिकाओं के लिये एक नई 'बालिकाश्री' योजना प्रारम्भ की जा रही है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक बालिका का रू0 200 का जीवन बीमा कराया जायेगा तथा रू0 800 के राष्ट्रीय बचत पत्र दिये जायेंगे। इस पर कुल रू0 10 करोड़ का व्यय अनुमानित है।

- 5 लाख अतिरिक्त विकलांगों को विकलांग पेंशन से आच्छादित किया जायेगा, जिस पर आने वाले व्यय रू0 90 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है। अब पात्रता क्षेत्र में आने वाले सभी विकलांग भी पेंशन से आच्छादित हो जायेंगे।

- खादी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 'जनश्री बीमा योजना' आरम्भ की जायेगी।

नई शिक्षण संस्थायें

3 नये मेडिकल कालेज आजमगढ़, कन्नौज तथा जालौन में खोले जाने प्रस्तावित हैं। इनके लिये रू0 410 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

- प्रदेश में एक नया पैरा मेडिकल कालेज खोला जायेगा जिसके लिये रू0 184 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

- चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अन्तर्गत एक वानिकी महाविद्यालय एवं एक औद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

- इन्फारमेशन टेक्नोलाजी की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2006–07 में चार नये इन्फारमेशन टेक्नोलाजी पालीटेक्निक खोले जाने प्रस्तावित हैं जिसके लिये रू0 20 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

- 2 नये इन्जीनियरिंग कालेज की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है जिसके लिये रू0 50 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

- प्रदेश में 75 नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जायेंगे।

- 37 विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नये व्यवसाय खोले जायेंगे।

- लखनऊ में विधि शिक्षा के लिये अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान निर्माणाधीन है। वर्ष 2006–07 में इस कार्य को पूरा

करने के लिये रू0 65 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

- इटावा में दुग्ध अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

- इटावा में मत्स्य महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

शिक्षा को प्रोत्साहन

- अनुसूचित एवं पिछड़ी जाति के छात्र – छात्राओं के समान सामान्य वर्ग के कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकें वितरित की जायेंगी। इसके लिये रू0 21 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

- कम्प्यूटर शिक्षा को प्राथमिक स्तर से ही बढ़ावा देने के लिये प्रत्येक जनपद के 10 विद्यालयों को कम्प्यूटर उपलब्ध कराये जायेंगें जो सौर ऊर्जा से चलेंगे। बजट में इसके लिये रू0 12 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

- कन्या विद्याधन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2005–06 में डेढ़ लाख कन्याओं को लाभान्वित किया जा रहा है। इस योजना की अभूतपूर्व सफलता को देखते हुये वर्ष

2006–07 में इसका लक्ष्य दुगुना कर दिया गया है तथा बजट में रू0 600 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार

- सड़क व सेतु के निर्माण एवं रखरखाव पर रू0 5075 करोड़ व्यय किये जायेंगे जो इस वर्ष 2991 करोड़ रूपये के बजट प्राविधान के सापेक्ष 70 प्रतिशत अधिक है। अनुरक्षण की धनराशि लगभग दुगुनी कर दी गई है।

- प्रदेश सरकार द्वारा दिल्ली मेट्रो को नोयडा तक लाने की रू0 736 करोड़ की परियोजना को स्वीकृति दे दी गई है। इसके अन्तर्गत नोयडा सेक्टर –32 के सिटी सेन्टर तक रेलवे लाइन विस्तारित कर दी जायेगी।

- बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल के विकास के लिये रू0 522 करोड़ का विशेष प्राविधान किया गया है। इसमें रू0 50 करोड़ की लागत से बुन्देलखण्ड के लिये पेयजल योजना सम्मिलित है।

- विभिन्न सिंचाई की योजनाओं के लिये बजट प्राविधान रू0 2551 करोड़ से

बढ़ाकर 3320 करोड़ रूपये कर दिया गया है जो कि 30 प्रतिशत अधिक है।

- बिजली की कमी की समस्या से जूझने के लिये विशेष ध्यान दिया गया है। वर्ष 2006–07 में ऊर्जा के लिये रू0 4196 करोड़ की व्यवस्था की गई है जो कि 2005–06 के रू0 1988 करोड़ के प्राविधान के दुगुने से भी अधिक है।

- चीनी मिलों द्वारा सह–विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये एक नई योजना रू0 5 करोड़ की लागत से चलाई जायेगी।

- प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक तालाब/ जलाशय बनाने के उद्देश्य से रू0 682 करोड़ की एक नई योजना चालू की जायेगी जो दो वर्षो तक चलेगी।

किसानों के लिये

- भूमि सेना योजना को प्रदेश में अद्भुत सफलता मिली है। अतः इसके लिये बजट व्यवस्था रू0 40 करोड़ से बढ़ाकर रू0 100 करोड़ कर दी गई है।

- केन्द्र सरकार द्वारा बीजों की अधिसूचित प्रजातियों पर काफी समय से 200 रूपये

प्रति क्विंटल का अनुदान दिया जाता रहा है। इस बीच बीजों के दाम काफी बढ़ गये हैं किन्तु हमारे बार बार अनुरोध करने पर भी केन्द्र सरकार ने अनुदान की धनराशि में वृद्धि नहीं की। अब प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि अपने संसाधनों से हम 120 रूपये प्रति क्विंटल की दर से अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध करायेंगे। इसके लिये रू0 24 करोड़ की बजट में व्यवस्था कर ली गई है।

- यह सुनिश्चित करने के लिये कि किसानों को दुर्घटना बीमा का लाभ बिना किसी कठिनाई के मिले, इस योजना के अन्तर्गत प्रीमियम पर आने वाले व्यय के लिये बजट बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया है।

- किसानों के हितों को सर्वोपरि मानते हुये सरकार द्वारा पिछले पेराई सत्र 2004–05 में गन्ना मूल्य में की गई वृद्धि के फलस्वरूप प्रदेश के किसानों को लगभग रूपये 600 करोड़ से अधिक की अतिरिक्त आमदनी हुई । पेराई सत्र 2005–06 में लिये भी सरकार द्वारा गन्ना मूल्य में की गई वृद्धि से गन्ना किसानों को इस वर्ष लगभग रूपये 400 करोड़ का अतिरिक्त लाभ होगा ।

- सघन क्षेत्रों में व्यवसायिक औद्यानिकी विकास की नयी योजना वर्ष 2006–07 से प्रारम्भ की जा रही है जिसके लिये 37 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- फलदार बागों को संरक्षण प्रदान करने के लिये रू0 7.67 करोड़ लागत की एक नयी योजना आरम्भ की जायेगी।

- नये पशु चिकित्सालयों की स्थापना के लिये रू0 26 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

अल्पसंख्यक कल्याण

- 13 अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों के असेवित क्षेत्रों में प्राइमरी स्कूल तथा जूनियर हाई स्कूल प्राथमिकता पर खोले जायेंगे। जूनियर हाई स्कूलों में कम्प्यूटर भी उपलब्ध कराये जायेंगे।

- अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं व प्रादेशिक सिविल सेवाओं के लिये अल्पसंख्यक छात्रों की कोचिंग हेतु एक कोचिंग संस्थान स्थापित किया जायेगा।

- सामान्य विद्यालयों की भांति प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान सूची पर लिये गये मदरसों

की फौकानिया स्तर तक के बालक बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकें भी उपलब्ध करायी जायेंगी।

- माध्यमिक शिक्षा की भांति अरबी फारसी बोर्ड से आलिया की परीक्षा, जो इण्टर के समकक्ष है, पास करने वाली छात्राओं को भी कन्या विद्याधन योजना का लाभ दिया जायेगा।

- सरकारी नौकरियों में अल्प संख्यकों की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा अल्प संख्यकों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उपाय सुझाने के लिये एक आयोग गठित किया जायेगा जो अपनी रिपोर्ट विलम्बतम् तीन माह में देगा।

- अरबी फारसी मदरसों के शिक्षकों के वेतनमान उच्चीकृत किये जा रहे हैं जिससे लगभग 4500 शिक्षक लाभान्वित होंगे तथा जिस पर अतिरिक्त व्यय लगभग रूपये 7 करोड़ आयेगा।

- अरबी फारसी मरदसों में कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्धेश्य से 10 + 2 स्तर के 50 अरबी फारसी मदरसों को अनुदान दिये जाने की योजना प्रस्तावित

की जा रही है जिसके लिये बजट में रू0 52 लाख की व्यवस्था की गई है।

- प्रदेश में स्थापित अल्पसंख्यक कल्याण निगम द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सस्ती दरों पर अल्पसंख्यकों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। प्रदेश सरकार इस निगम को रू0 20 करोड़ की गारण्टी देने जा रही है जिसके आधार पर यह संस्था केन्द्रीय संस्थाओं से धनराशि प्राप्त कर सकेगी और अपने संसाधन बढ़ा पायेगी।

- प्रदेश में अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लाकों व अन्य क्षेत्रों में 25 नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जायेंगे जिससे कि इस समुदाय के लोगों को रोजगारपरक शिक्षा मिल सके।

- वक्फ विकास निगम के अंशकों का क्रय करने के लिये रू0 50 लाख की व्यवस्था बजट में की गई है।

कर्मचारियों के लिये

- प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों व पेंशनरों का विशेष ध्यान रखा है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान उन्हें भारी

व्यय आने के बावजूद भी 1 अप्रैल, 2004 से मूल वेतन में 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ता संविलियन करने का लाभ दे दिया है। 1 जुलाई, 2005 से मंहगाई भत्ते की 4 प्रतिशत की एक अतिरिक्त किश्त दिये जाने का सरकार ने निर्णय लिया है। 1 अप्रैल, 2006 से इसका नगद भुगतान किया जायेगा। इस पर लगभग रू0 600 करोड़ का अतिरिक्त वार्षिक व्यय अनुमानित है।

- न्यायिक सेवा के अधिकारियों को शैट्टी आयोग की संस्तुतियों के अनुसार भत्ते स्वीकृत किये गये हैं जिस पर लगभग रू0 20 करोड़ वार्षिक व्यय आने की संभावना है।

अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम

- प्रदेश सरकार द्वारा यूपिका, रामपुर चीनी मिल, कर्मचारी कल्याण निगम, कतिपय सहकारी समितियां व सहकारी बैंकों एवं अन्य संस्थाओं को पुनर्वासित करने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिये बजट में रू0 237 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

- शान्ति व्यवस्था बनाये रखने में ग्राम चौकीदारों की भूमिका अहम होती है।

उनको मिलने वाले मानदेय को वर्तमान 300 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर रू0 500 प्रतिमाह कर दिया जायेगा जिससे कि वह पुलिस के साथ कन्धे से कन्धा मिला कर काम कर सकें।

- होम गार्ड्स को प्रतिदिन पारिश्रमिक के रूप में 80 रूपये दिये जा रहे थे जिसे बढ़ाकर 85 रूपये करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। बजट व्यवस्था में रू0 13 करोड़ की वृद्धि की गई है।

- नगर निकायों में तह बाजारी व्यवस्था में अनेक कुरीतियां उत्पन्न हो गई हैं जिसका असमाजिक तत्वों द्वारा लाभ उठाया जा रहा है। इस व्यवस्था को समाप्त कर नई व्यवस्था लागू की जायेगी जिसके अन्तर्गत हाकिंग क्षेत्र का सीमांकन कर वेण्डर मार्केट के रूप में स्थान निर्दिष्ट किया जायेगा तथा नो वेण्डिंग जोन का भी निर्धारण किया जायेगा। इस योजना का विस्तृत विवरण शीघ्र घोषित किया जायेगा।

- राज्य सरकार द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को नगरीय सुविधाओं के विकास हेतु रिवाल्विंग फण्ड के माध्यम से ब्याज रहित ऋण दिया जाता है। निकायों की आर्थिक स्थिति को देखते हुये उनके द्वारा

इस ऋण की वापसी के संबंध में काफी कठिनाइयां इंगित की गई हैं। उनकी इन कठिनाइयों के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस ऋण की वापसी में 3 साल के मारीटोरियम की सुविधा देते हुये 10 वार्षिक समान किस्तों में इसकी वापसी की जाय। इससे स्थानीय निकायों को काफी राहत मिलेगी।

- नगरीय क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा इन निकायों को अपने स्रोतों से और धनराशि जिलाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

- राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार हेतु छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के दशम तथा दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों के साथ साथ सामान्य जाति के गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के बच्चों को ही छात्रवृत्ति दी जाती है। यह छात्रवृत्ति रू0 25 प्रतिमाह से रू0 740 प्रतिमाह की दर से विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से ऊपर रहने वाले परिवारों के बच्चों इस सुविधा से वंचित होना पड़ता है। राज्य

सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत रू0 138 करोड़ से वृद्धि कर रू0 250 करोड़ की व्यवस्था की गई है जिससे सामान्य वर्ग के छात्रों का आच्छादन बढ़ जायेगा।

- विभिन्न विभागों यथा व्यापार कर, विद्युत देय तथा अन्य कर एवं शुल्कों की काफी अधिक धनराशि बकाये के रूप में पड़ी है जिसकी वसूली नहीं हो पा रही है। ऐसी धनराशि की वसूली करने के लिये बकायेदारों से विचार विमर्श कर वसूली की जायेगी। ऐसे समझौते में ब्याज / चक्रवृद्धि ब्याज / अर्थ दण्ड की छूट दी जायेगी। इस प्रकिया को पारदर्शी बनाने की दृष्टि से माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक "सेटेलमेन्ट एडवाइजरी कमेटी" का गठन किया जायेगा तथा इस समिति की संस्तुति के आधार पंर ही राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिये 65 प्रतिशत वृद्धि की गई है। वर्ष 2006–07 में 4029 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है जबकि वर्ष 2005–06 के बजट में यह व्यवस्था रू0 2442 करोड़ थी।

- सैफई में निर्माणाधीन रूरल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेस, मेडिकल कालेज तथा डेन्टल कालेज का कार्य पूरा करने के लिये रू0 225 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

- किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रू0 105 करोड़ उपलब्ध कराये जायेंगे।

- किंग जार्ज दन्त चिकित्सा विश्वविद्यालय को रू0 53 करोड़ उपलब्ध कराये जायेंगे।

- कई जनपदों में नये संयुक्त चिकित्सालय स्थापित किये जायेंगे तथा विद्यमान चिकित्सालयों को सुदृढ़ किया जायेगा। इनमें कौशाम्बी, बागपत, देवरिया, रामपुर व आजमगढ़ सम्मिलित है।

- औषधि मद में रु0 184 करोड़ की व्यवस्था की गई है जो गत वर्ष के सापेक्ष रू0 33 करोड़ से अधिक है।

- अधिवक्ताओं को चैम्बर उपलब्ध कराने की दृष्टि से वर्ष 2004–05 से बजट के माध्यम से व्यवस्था की गई थी। वर्ष 2005–06 में इसका विस्तार करते हुये जिला स्तर पर चैम्बर निर्माण के लिये व्यवस्था की थी।

अब हम इस सुविधा को पूरे प्रदेश में तहसील स्तर तक बढ़ायेंगे।

- हमारी सरकार ने ऐसे बेरोजगार नवयुवक जो स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हैं तथा 31 दिसम्बर, 2005 तक प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत हैं, को 1 अप्रैल, 2006 से 500 रूपये प्रतिमाह की दर से बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय लिया है।

मान्यवर,

अब मैं कुछ मुख्य विभागों के बजट प्रस्तावों का उल्लेख करना चाहूंगा।

पुलिस प्रशासन

प्रदेश में शान्ति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिये पुलिस बल को आधुनिकीकृत करना अति आवश्यक है। अतः पुलिस को आधुनिक अस्त्र शस्त्र उपलब्ध कराने के लिये, वाहनों से लैस करने के लिये, बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिये एवं अन्य उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बजट में रू0 247 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

नक्सल प्रभावित जनपदों में पुलिस बल को सुदृढ़ किया जा रहा है। जनपद सोनभद्र में एक इण्डिया रिजर्व वाहिनी का गठन किया जा रहा है। एक नई पी0ए0सी0 वाहिनी का गठन जनपद मऊ में

किया जा रहा है। वाराणसी में नक्सलवादी गतिविधियों की रोकथाम हेतु एक नये प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

बड़े अपराधियों एवं माफियाओं को पकड़ने में स्पेशल टास्क फोर्स ने महत्वपूर्ण सफलतायें प्राप्त की हैं। अतः सरकार द्वारा इस फोर्स को सुदृढ़ किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है तथा इस फोर्स के कर्मियों को प्रोत्साहन भत्ता स्वीकृत किया गया है।

पुलिस बल के मनोबल में वृद्धि के उद्देश्य से उनकी मूलभूत आवश्यकताओं और उनके कल्याणकारी कार्यक्रमों को विशेष रूप से प्राथमिकता दी जा रही है।

ग्राम्य विकास

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब एवं आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की प्राथमिकता है । इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2006–07 में दो लाख आवास निर्मित करने का अनुमान है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति की समस्या का निराकरण एवं पर्यावरणीय संतुलन को बनाये रखने के उद्देश्य से वर्ष 2006–2007 से रूपये 682 करोड़ की आदर्श जलाशय योजना आरम्भ की जा रही है । इस योजना के अन्तर्गत दो वर्षो में राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक तालाब/ जलाशय का निर्माण अथवा सुदृढ़ीकरण/जीर्णोद्धार किया जायेगा । इस योजना

के क्रियान्वयन हेतु 75 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है तथा शेष धनराशि डवटेलिंग के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी।

प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना लागू करने का निर्णय ले लिया गया है । प्रथम चरण में यह योजना कुछ चुनिन्दा जनपदों में लागू की जायेगी। इसके अन्तर्गत ऐसे परिवारों को जिनके किसी भी सदस्य को वर्ष में 100 दिन का भी रोजगार सुलभ नहीं हो पाता,उन्हें प्रदेश सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। इस योजना हेतु बजट में 130 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2005–06 में 555 करोड़ रूपये का व्यय कर 3010 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण करते हुये 1687 बस्तियों को सर्वऋतु मार्ग से जोड़ा जा रहा है। वर्ष 2006–07 में लगभग 5062 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण कर 3462 बस्तियों को सर्वऋतु सड़क से जोड़ने की योजना है।

पंचायती राज

समस्त जनपदों में चल रहे सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु प्रति शौचालय मात्र रूपये 600 की अनुमन्य सहायता राशि को विशेष प्रोत्साहन के रूप में बढ़ाकर रूपये 1500 कर दिया गया है । इस

योजना के अन्तर्गत अनुदान से 11.75 लाख व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया गया है ।

वर्ष 2006–07 में पंचायतीराज संस्थाओं को अन्तरण हेतु रूपये 1012 करोड की व्यवस्था की गई है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 337 करोड़ रूपये अधिक है ।

पशुपालन

प्रदेश की ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में पशुपालन की मुख्य भूमिका है । जैसा कि मैंने पहले कहा है, प्रदेश में वर्ष 2006–07 में नये पशुचिकित्सालयों की स्थापना हेतु रू0 26 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

नये पशु सेवा केन्द्रों तथा "द" श्रेणी पशु औषधालयों की स्थापना हेतु एक करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

स्वरोजगारपरक योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न पशुधन कार्यक्रमों द्वारा लगभग बीस हजार बेरोजगार युवक युवतियों को स्वरोजगारी बनाने का लक्ष्य है ।

पशुपालकों के द्वार पर प्राथमिक चिकित्सा एवं कृत्रिम गर्भाधान सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु 200 पैरावेट्स को प्रशिक्षित किये जाने एवं आवश्यक सामग्री के क्रय के लिये दो करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

मत्स्य

मत्स्य व्यवसाय से जुड़े हुये मछुआ समुदाय के कल्याणार्थ मछुआ आवासों के निर्माण की योजनान्तर्गत वर्ष 2006–2007 में 3102 आवासों के निर्माण हेतु लाभार्थियों को रूपये 25000 प्रति आवास के अनुसार धन उपलब्ध कराया जायेगा।

आगामी 5 वर्षो में सुनियोजित रूप से मत्स्य विकास हेतु "मत्स्य विकास नीति" विकसित की जा रही है जिसमें 4.32 लाख हेक्टेयर संचित जल सम्पदा के अधिकाधिक दोहन एवं उत्पादकता में वृद्धि कर 4 लाख टन मत्स्य उत्पादन से मत्स्य पालकों हेतु एक लाख मानव दिवस का रोजगार सृजित करते हुये प्रदेश को मत्स्य तथा मत्स्य बीज उत्पादन में स्वावलम्बी ही नहीं अपितु निर्यातोन्मुख भी बनाने का लक्ष्य है।

सड़क एवं यातायात

मैं पहले ही सम्मानित सदन को बता चुका हूँ कि सड़कों और सेतुओं के निर्माण और रख–रखाव के लिये वर्ष 2005–2006 में कुल 2991 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था के सापेक्ष वर्ष 2006–2007 के बजट में 5075 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। यह लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है ।

वित्तीय वर्ष 2005–06 में 25,000 किलोमीटर लम्बाई के मार्गों को गड्ढ़ा मुक्त करने के साथ–साथ

6300 किलोमीटर की लम्बाई के मार्गों के नवीनीकरण का कार्य एवं 6000 किलोमीटर की लम्बाई के मार्गों की विशेष मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है। वर्ष 2006–07 में मार्गों के रख–रखाव के कार्य पर और अधिक ध्यान दिया जाएगा जिसके लिये वित्तीय वर्ष 2006–07 में 1435 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2005–06 की लगभग 786 करोड़ की धनराशि का लगभग दुगुना है।

विश्व बैंक की सहायता से कियान्वित की जा रही रुपये 3000 करोड़ की महत्वाकांक्षी परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2006–07 में रुपये 444 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है जिससे 600 किलोमीटर की लम्बाई में राज्य मार्ग/ प्रमुख जिला मार्ग के उच्चीकरण/ वृहद रख–रखाव का कार्य कराया जाएगा ।

अविकसित गाँवों को पक्की सड़क से जोड़ने हेतु ग्रमीण मार्ग निर्माण कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। वित्तीय वर्ष 2005–06 में 1245 करोड़ की व्यवस्था के सापेक्ष 2006–07 में ग्रामीण मार्ग निर्माण कार्य हेतु 1432 करोड़ रूपये की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।

नक्सल प्रभावित जनपद चन्दौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, मऊ और बलिया में मार्ग निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2005–06 में प्राविधानित 22 करोड़ के सापेक्ष 2006–07 में इस मद हेतु रुपये 44 करोड़ की बजट व्यवस्था की गई है।

वित्तीय वर्ष 2006–07 में नये सेतुओं के निर्माण के लिये 172 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है। आगामी वर्ष में 151 पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है । हमारी सरकार के कार्यकाल में अभी तक 240 सेतुओं का निर्माण कार्य पूरा कराया जा चुका है।

परिवहन

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वर्ष 2006–07 में राज्य सरकार द्वारा अंश पूँजी विनियोजन किये जाने हेतु 27 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है।

उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के बस बेड़े में वर्ष 2006–07 में 1000 नई बसें क्रय किया जाना प्रस्तावित है जिसमें 800 बड़ी एवं 200 मिनी बसें शामिल हैं।

प्रदूषण नियंत्रण हेतु सी.एन.जी. बसों का उपयोग एवं प्रतिष्ठित विशेष सेवाओं में टेलीविजन लगाया जायेगा । यात्री सुविधा केन्द्र का विकास एवं राष्ट्रीय स्तर के परिवहन अनुसंधान संस्थान की स्थापना प्रस्तावित है।

प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं में समय से चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से दुर्घटना बाहुल्य वाले

राजमार्गों पर ट्रामा केन्द्रों की स्थापना किये जाने की योजना है जिसके लिये प्रथम चरण में वर्ष 2006–07 के लिये 24 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

सिंचाई

सिंचाई विभाग के बजट में की गई वृद्धि का मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूँ कि प्रदेश में सिंचाई प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के उददेश्य से नयी योजनाओं के साथ नहरों के पुनर्स्थापन की कई नयी योजनायें प्रारम्भ की जा रही हैं जिनके लिए कुल 277 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है ।

प्रदेश में बाढ़ से सुरक्षा हेतु निर्मित तटबंधों की सुरक्षा तथा नदी की धारा में परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए 82 नदी कटाव निरोधक योजनाओं के लिए कुल 100 करोड़ की बजट व्यवस्था की गई है ।

नये सीमान्त बॉधों के निर्माण तथा वर्तमान तटबन्धों को ऊँचा करने एवं उनके सुदृढ़ीकरण हेतु 86 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है ।

प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जल भराव की समस्या के निराकरण हेतु जल निकासी कार्यो तथा नदी के कछारों में बसी आबादियों की बाढ़ से सुरक्षा हेतु बाढ़रोधी कार्यों के लिए कुल 46 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है ।

लघु सिंचाई

वर्ष 2006–07 में निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत एक लाख छियासी हजार निःशुल्क बोरिंग का लक्ष्य प्रस्तावित है । निजी लघु सिंचाई कार्यक्रमों हेतु वर्ष 2006–07 में चालू योजनाओं के अन्तर्गत 1980 गहरे नलकूप, 133 इनवेल बोरिंग, 56 ब्लास्ट वेल, 833 सतही पम्पसेट, 15 आर्टीजन कूप, 63 रिचार्जिंग / चेक डैम तथा 1589 मध्यम गहराई के नलकूपों के निर्माण का कार्य प्रस्तावित है ।

ऊर्जा

ऊर्जा विभाग के बजट में की गई अभूतपूर्व वृद्धि का मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूँ। यह सर्वविदित है कि पिछले 11 वर्षो में प्रदेश में कोई विद्युत उत्पादन इकाई नहीं लगायी गयी जिसके फलस्वरूप प्रदेश में बिजली की मॉग तथा उपलब्धता में अन्तर लगातार बढ़ता गया । प्रदेश में बिजली की उपलब्धता एवं भावी मांग के अन्तर को पूरा करने तथा गुणावत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु पिछले वर्ष हमारी सरकार ने उदार ऊर्जा नीति को कियान्वित करने का संकल्प लिया था । हमारे संकल्प के अनुरूप उदार ऊर्जा नीति को देखते हुये निजी निवेशकों द्वारा प्रदेश में अगले 6 वर्षो में 7000 मेगावॉट की परियोजनायें लगाये जाने पर सहमति दे दी है, जिनमें 28000 करोड़ रुपये का विनियोजन होगा ।

विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्वि हेतु पारीछा विस्तार परियोजना के अन्तर्गत माह अप्रैल, 2006 तक 210 मेगावॉट की प्रथम नवीन इकाई उत्पादन प्रारम्भ कर देगी और इसी परियोजना की दूसरी इकाई माह नवम्बर, 2006 तक उत्पादन प्रारम्भ कर देगी ।

उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन विष्णु प्रयाग परियोजना से माह मार्च, 2006 में विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा एवं अगले वित्तीय वर्ष में लगभग 350 मेगावॉट विद्युत उपलब्ध होगी।

इसी प्रकार टिहरी परियोजना से उत्तर प्रदेश को माह मई–जून, 2006 से विद्युत की उपलब्धता प्रारम्भ हो जायेगी। इस प्रकार अगले वर्ष में विद्युत की उपलब्धता में विशेष वृद्वि होगी।

प्रदेश में बिजली की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए नयी विद्युत इकाईयों की स्थापना एवं विस्तार की 5 योजनायें वर्ष 2006–07 में प्रारम्भ की जा रही हैं । इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 8000 करोड़ रुपये अनुमानित है जिसमें राज्य सरकार के अंशदान के रूप में वर्ष 2006–07 हेतु 233 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है ।

प्रदेश के अवशेष 30852 गॉवों के विद्युतीकरण की योजना के अन्तर्गत 6000 गॉवों को मार्च, 2006 तक तथा अवशेष 24852 गॉवों को मार्च, 2007 तक विद्युतीकृत किये जाने का लक्ष्य है ।

नगर विकास

कानपुर नगर की पेयजल व्यवस्था के स्थायी समाधान हेतु कानपुर में गंगा बैराज का निर्माण कार्य जून, 2006 में पूर्ण कर लिये जाने का लक्ष्य है । वर्ष 2006–07 में इस हेतु 40 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है ।

10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु "जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रीन्यूअल मिशन योजना" लागू की जा रही है जिस के लिये वर्ष 2006–07 में 40 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था की गई है। इलाहाबाद शहर के लिये रू0 10 करोड़ की विशेष व्यवस्था की गई है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2006–07 में वहॉ अर्ध कुंभ मेला आयोजित किया जायेगा।

10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु "अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेण्ट स्कीम फार स्माल एण्ड मीडियम टाऊन्स योजना" हेतु वित्तीय वर्ष 2006–07 में 110 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

नगरीय पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2006–07 में 83 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

प्रदेश में बहने वाली मुख्य नदियों – गंगा, यमुना व गोमती को प्रदूषण से मुक्त करने हेतु राज्य सरकार

द्वारा प्राथमिकता दी गई है। इस कार्यक्रम हेतु वर्तमान वर्ष की बजट व्यवस्था रू0 21 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2006–07 में रू0 88 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

आवास एवं शहरी नियोजन

प्रदेश की राजधानी सहित अन्य विकासशील महानगरों में निजी पूँजी निवेश के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अत्याधुनिक सुविधाओंयुक्त उपनगरों (हाई–टेक टाउनशिप) के विकास की नीति घोषित की गई है । इस नीति के अन्तर्गत लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद एवं मथुरा में कुल 9 टाउनशिप के विकास के फलस्वरूप प्रदेश में 'रियल एस्टेट सेक्टर' में आगामी 5 से 7 वर्षो में लगभग 10000 करोड़ रुपये का निजी पूँजी निवेश आकर्षित होगा, जो अपने–आप में एक नया कीर्तिमान होगा ।

प्रदेश के लघु एवं मध्यम आकार के नगरीय क्षेत्रों में भी निजी पूँजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के विकास हेतु एक नई नीति घोषित की गई है, जिसके तहत 25 एकड़ एवं उससे अधिक क्षेत्रफल में एकीकृत आवासीय योजनाओं का सुनियोजित विकास सम्भव हो सकेगा । इस नीति का कियान्वयन वर्तमान वित्तीय वर्ष से प्रारम्भ हो जायेगा ।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स

हमारी सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी नीति–2004 घोषित की जा चुकी है । प्रौद्योगिकी नीति में प्रदेश के स्कूलों तथा कालेजों में सूचना प्रौद्यागिकी के प्रयोग को बढ़ावा देने के साथ–साथ प्रदेश में हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर उद्योगों को विभिन्न प्रकार की सुविधायें दी जा रही हैं। इसके परिणामस्वरूप सूचना प्रौद्योगिकी की कई बड़ी कम्पनियों ने प्रदेश में इकाईयॉ स्थापित करने का निर्णय लिया है ।

नेशनल ई–गवर्नेन्स योजनान्तर्गत स्टेट डाटा सेन्टर स्थापित किये जाने हेतु बजट में रूपये 3 करोड़ की व्यवस्था की गई है ।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत विभागीय सूचनाओं के डिजिटाइजेशन के लिये बजट में रूपये एक करोड़ की व्यवस्था की गई है ।

प्रदेश में जिला/ तहसील तथा विकास खण्ड स्तर पर कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु रूपये 50 लाख की व्यवस्था की गई है ।

प्रदेश के गॉवों में सिटीजन सर्विस सेन्टर (सी. एस.सी) की स्थापना का लक्ष्य है जिसके द्वारा जन सामान्य को कियास्क के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सेवायें उपलब्ध होने के साथ साथ प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के साधन भी प्राप्त हो सकेंगे।

पर्यटन

विविधापूर्ण पर्यटक स्थलों एवं समय–समय पर सम्पन्न होने वाले मेले, महोत्सवों के कारण उत्तर प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण केन्द्र है। प्रदेश में आगरा, मथुरा व काशी जैसे कई आकर्षक स्थल हैं। इनके विकास के लिये वर्ष 2006–07 में लगभग रूपये 80 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

निजी उद्यमियों को प्रदेश में पूँजी निवेश हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक होटल नीति प्रस्तावित की जा रही है जिससे प्रदेश की आर्थिक उन्नति के साथ–साथ रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा ।

औद्योगिक विकास

प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति, ऊर्जा नीति, हाई टेक टाउनशिप विकास नीति, चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति एवं नई आसवनी इकाईयों की स्थापना व क्षमता विस्तार नीति की संरचना की गई है। फलस्वरूप, पिछले 2 वर्षो में रू0 48000 करोड़ के 1205 निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं जो कि अपने आप में एक रिकार्ड है। इन परियोजनाओं से लगभग 3 लाख व्यक्तियों को रोजगार सुलभ होगा।

औद्योगिक, व्यवसायिक, घरेलू तथा परिवहन क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नगरों में नगरीय गैस वितरण प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश में औद्योगिक अवस्थापना उच्चीकरण योजना के अन्तर्गत 14 औद्योगिक क्षेत्रों में मार्ग, बिजली तथा जल निकासी सुविधाओं के उच्चीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2006–07 में 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

लघु उद्योग

औद्योगीकरण को बढ़ावा दिये जाने हेतु राज्य सरकार निरन्तर उद्यमियों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रही है। राज्य सरकार की औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति, 2004 के अन्तर्गत औद्योगीकरण में निजी सहभागिता, सेवा क्षेत्र को प्रोत्साहन, नये उद्योग एवं नये निवेश आमंत्रित किये जाने हेतु विशेष सहूलियतें निर्धारित की गई हैं।

लघु उद्योगों की स्थापना एवं प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2006–07 में भी दो लाख नये रोजगार सृजित करने का लक्ष्य है ।

खादी एवं ग्रामोद्योग

मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2006–07 में 5500 कुटीर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना कराई जायेगी ।

इनके माध्यम से लगभग 38 हजार बेरोजगार व्यक्तियों हेतु रोजगार के अवसर उपलब्ध होगें।

जिस प्रकार से किसानों को बिजली के बिल में राहत दी जाती है उसी तरह बुनकरों को भी राहत दी जायेगी।

बेसिक शिक्षा

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्कूलों के निर्माण एवं शिक्षकों की नियुक्ति में हमारी उपलब्धियों को भारत सरकार एवं विश्व बैंक दोनों ने ही सराहा है। सरकार के विशेष प्रयासों के फलस्वरूप पिछले दो सालों में 50 लाख अतिरिक्त बच्चों ने प्राईमरी स्कूलों में प्रवेश लिया है। कक्षा –1 से 8 में ड्रापआउट रेट 3 साल में 40 प्रतिशत से घटकर 24 प्रतिशत पर आ गया है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2006–07 में 4700 नये स्कूलों की स्थापना का लक्ष्य है जिसमें 2400 प्राथमिक विद्यालय व 2300 उच्च प्राथमिक विद्यालय होगें । इससे प्रदेश की ग्रामीण आबादी स्कूल की सुविधा से सेवित हो जायेगी। सर्व शिक्षा अभियान के विभिन्न कार्यक्रमों हेतु वर्ष 2006–07 के लिए राज्य सरकार के अंशदान के रूप में 920 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत वर्ष 2006–07 में रुपये 350 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है ।

माध्यमिक शिक्षा

कन्या विद्या धन योजना की सफलता एवं उत्साह को देखते हुये प्रदेश सरकार द्वारा योजना के अन्तर्गत बालिकाओं के आच्छादन की संख्या को दुगुनी करने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2006–07 में तीन लाख कन्याओं को लाभान्वित करने के लिये 600 करोड़ रूपये की व्यवस्था बजट में की गई है।

वर्ष 2006–07 में माध्यमिक विद्यालयों के भवनों के निर्माण हेतु 14 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है ।

उच्च शिक्षा

राजकीय महाविद्यालयों में पठन–पाठन के स्तर में गुणात्मक सुधार लाने हेतु शिक्षकों के 57 तथा शिक्षेणत्तर कर्मियों के 171 पद सृजित किये गये हैं । राज्य विश्व विद्यालय, राजकीय महाविद्यालयों एवं अशासकीय महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिये रू0 25 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

खेल एवं युवा कल्याण

खेलकूद कार्यक्रमों के लिए वर्ष 2006–07 के बजट में 45 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जिसमें खेल अवस्थापनाओं के सृजन हेतु आठ करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था है ।

युवकों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु शहरी / ग्रामीण क्षेत्रों में व्यायामशालाओं की स्थापना की जायेगी इसके लिये बजट में रूपये 3 करोड़ की व्यवस्था की गई है ।

चिकित्सा तथा स्वास्थ्य

राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा सेवाओं के विस्तार एवं उनकी गुणवत्ता में सुधार को प्राथमिकता दी गई है और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं हेतु वर्ष 2006–07 में कुल 4029 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था की गई है जो वर्ष 2005–06 में की गई बजट व्यवस्था 2442 करोड़ रुपये से लगभग 65 प्रतिशत अधिक है ।

बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ में आपातकालीन सेवायें व अन्य आधुनिक सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु रू0 10 करोड की व्यवस्था की गई है।

डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल, लखनऊ के उच्चीकरण व आधुनिक सुविधायें उपलब्ध

कराने के लिये 12 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है।

गोमती नगर में निर्माणाधीन डा0 राम मनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइसेंस के निर्माण कार्यो के लिये रू0 25 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

जनपद कौशाम्बी, बागपत, कुशीनगर, सोनभद्र तथा महोबा में 100 शैय्यायुक्त चिकित्सालय के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 26 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था वर्ष 2006–07 में प्रस्तावित है ।

जिला एवं संयुक्त चिकित्सालयों में सुधार, विस्तार, नवीनीकरण एवं विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु 51 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था की गई है।

जनपद देवरिया में जिला चिकित्सालय द्वारा प्रदत्त सेवाओं में सुधार की आवश्यकता को देखते हुये इस चिकित्सालय का उच्चीकरण कर ओ0टी0 काम्प्लेक्स, डायगनोस्टिक ब्लाक तथा प्लास्टिक एवं बर्न यूनिट की स्थापना हेतु बजट में रूपये 4 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

पूर्वांचल में जापानी इन्सेफिलाइटिस से जन सामान्य को सुरक्षित रखने हेतु एक वर्ष से 15 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण अभियान जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चलाया जा रहा है। चिकित्सा उपचार के लिए दवाओं एवं उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था की गई हैं ।

इस वर्ष इस रोग से मरने वालों व्यक्तियों के परिवारों के लिए रुपये 25,000 प्रति व्यक्ति एवं विकलॉगों के लिए रुपये 50,000 प्रति व्यक्ति की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।

प्रदेश की ग्रामीण जनता को दूर दराज इलाकों में चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती पर विशेष बल दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए संविदा के आधार पर चिकित्सक तैनात किये गये हैं । चिकित्सकों के 1890 रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही भी की जा रही है ।

चिकित्सा शिक्षा

चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के उद्देश्य से प्रदेश में वर्ष 2006–07 में तीन नये मेडिकल कालेज आजमगढ़, कन्नौज तथा जालौन में खोले जायेंगे । बजट में इसके लिये 410 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है। एक नया पैरा मेडिकल कालेज स्थापित किया जायेगा जिसके लिये 184 करोड़ की व्यवस्था की गई है । सैफई में निर्माणाधीन रूरल इस्ट्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेस, मेडिकल कालेज तथा डेण्टल कालेज के लिये 225 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है ।

राजकीय एलोपैथी मेडिकल कालेजों में स्टेम सेल अनुसंधान की व्यवस्था हेतु 3 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है ।

साथ ही मेडिकल कालेज, गोरखपुर में मस्तिष्क ज्वर शोध संस्थान की स्थापना हेतु 7 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

वर्ष 2006–2007 में 75 नये राजकीय होम्योपैथी चिकित्सालय की स्थापना की जायेगी।

समाज कल्याण

सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समाज के कमजोर व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान के उद्देश्य से वृद्धावस्था पेंशन में शत प्रतिशत आच्छादन किया जायेगा । इस हेतु 8 लाख अतिरिक्त वृद्धों को पेंशन दी जायेगी। इस प्रकार के पेंशनार्थियों की संख्या 12 लाख से बढ़कर 20 लाख हो जायेगी । पेंशन हेतु बजट में 360 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है ।

कक्षा 1 से 12 तक अनुसूचित जाति/जनजाति तथा सामान्य वर्ग के निर्धन अभिभावकों के बच्चों को छात्रवृत्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2006–07 में अनुसूचित जाति छात्र/छात्राओं के लिए 662 करोड़ रुपये, अनुसूचित जनजाति छात्र/छात्राओं के लिए 17 करोड़ रुपये एवं सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए 250 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है ।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के कमाऊ सदस्य की मृत्यु पर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रभावित परिवार को दी जाने वाली राशि रुपये 10000 में वृद्धि करते हुए ऐसे परिवारों के कमाऊ सदस्यों की मृत्यु पर 20,000 रुपये आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु कुल 78 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है ।

प्रदेश में अनुसूचित जाति की महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत बढ़ाने हेतु न्यूनतम साक्षरता वाले स्थानों में नये राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालयों के खोले जाने की व्यवस्था की गई है ।

वन

उत्तरांचल राज्य के गठन के बाद हमारे प्रदेश का वनावरण एवं वृक्षारोपण भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 9 प्रतिशत ही रह गया है। प्रदेश में वृक्षाच्छादन बढ़ाने के लिये अवनत वन भूमि, सामुदायिक क्षेत्र, रेल, सड़क व नहर के किनारे की खाली पड़ी भूमि शहरी क्षेत्रों के पार्कों में राजकीय तथा अन्य रोपण योग्य भूमि तथा कृषकों की निजी अनुपजाऊ भूमि पर अधिकाधिक वृक्षारोपण करने का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2005–06 की बजट व्यवस्था रू0 215 करोड़ से बढ़ाकर वर्ष 2006–07 में 347 करोड़ रूपये कर दी गई है।

वैट लैण्ड क्षेत्रों के संरक्षण, सीमांकन, हेविटाट प्रबन्धन, जैव विविधता संरक्षण आदि कार्य करने हेतु राष्ट्रीय वैट लैण्ड संरक्षण कार्यक्रम चलाया जायेगा जिसके लिये बजट में रू0 3 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

2006–2007 के बजट अनुमान

मान्यवर,

अब मैं वित्तीय वर्ष 2006–07 के बजट अनुमानों के बारे में प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूँगा ।

प्राप्तियाँ

- वर्ष 2006–07 में 80540.47 करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियाँ अनुमानित हैं ।
- कुल प्राप्तियों में 56144.40 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियाँ तथा 24396.07 करोड़ रुपये की पूँजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।
- वर्ष 2006–07 में राजस्व प्राप्तियों में कर एवं करेतर राजस्व का अंश 48113.72 करोड़ रुपये है । इसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश 21051.90 करोड़ रुपये सम्मिलित है ।

व्यय

- वर्ष 2006–07 में कुल व्यय 82849.96 करोड़ रुपये अनुमानित है ।

- कुल व्यय में 55021.23 करोड़ रुपये राजस्व लेखे का व्यय है तथा 27828.73 करोड़ रुपये पूँजी लेखे का व्यय है ।

- वर्ष 2006–07 के बजट में 22106.46 करोड़ रुपये आयोजनागत व्यय अनुमानित है ।

समेकित निधि

समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् वर्ष 2006–07 में घाटा 2309.49 करोड़ रुपये है ।

लोक–लेखा से समायोजन

वर्ष 2006–2007 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिए 2448.70 करोड़ रुपये लोक–लेखा से समायोजित किये जायेंगे ।

समस्त लेन–देन का शुद्ध परिणाम

वर्ष 2006–07 में समस्त लेन–देन का शुद्ध परिणाम 139.21 करोड़ रुपये अनुमानित है ।

अन्तिम शेष

वर्ष 2006–07 में प्रारम्भिक ऋणात्मक शेष 503.17 करोड़ रुपये को हिसाब में लेते हुए अन्तिम ऋणात्मक शेष 363.96 करोड़ रुपये होना अनुमानित

नेतृत्व दिया वह प्रदेश आर्थिक रूप से जर्जर, निरक्षर एवं बीमार राज्य की पहचान बनावे, यह हम सभी को शर्मिन्दा करने वाली बात है। हमारा संकल्प इस कलंक को धोने का है। हमारे तीन वर्षों के अथक प्रयास से बहुत हद का यह धुला भी है। आइये असत्य प्रचार, मिथ्या आरोप के छिछले दायरे से ऊपर उठकर उत्तम प्रदेश बनाने की हमारे महान यज्ञ में अपनी भी आहूति देकर इस पुनीत कार्य को पूरा करें।

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक, वित्तीय वर्ष 2006–2007 का प्रदेश का बजट प्रस्तुत करता हूँ ।

माघ, 26 शक सम्वत् 1927,
तद्नुसार,
दिनांक 15 फरवरी, 2006